जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

चूरू

Rashtradoot

epaper.rashtradoot.com

फोनः- 256906, 256907, फैक्सः- 01562-256908 वर्षः 15 संख्याः 144 प्रभात चूरू, गुरुवार 21 सितम्बर, 2023 पो. रजि. न. चूरू/084/2019-21 पृष्ठ 6 मूल्य 2.50 रु.

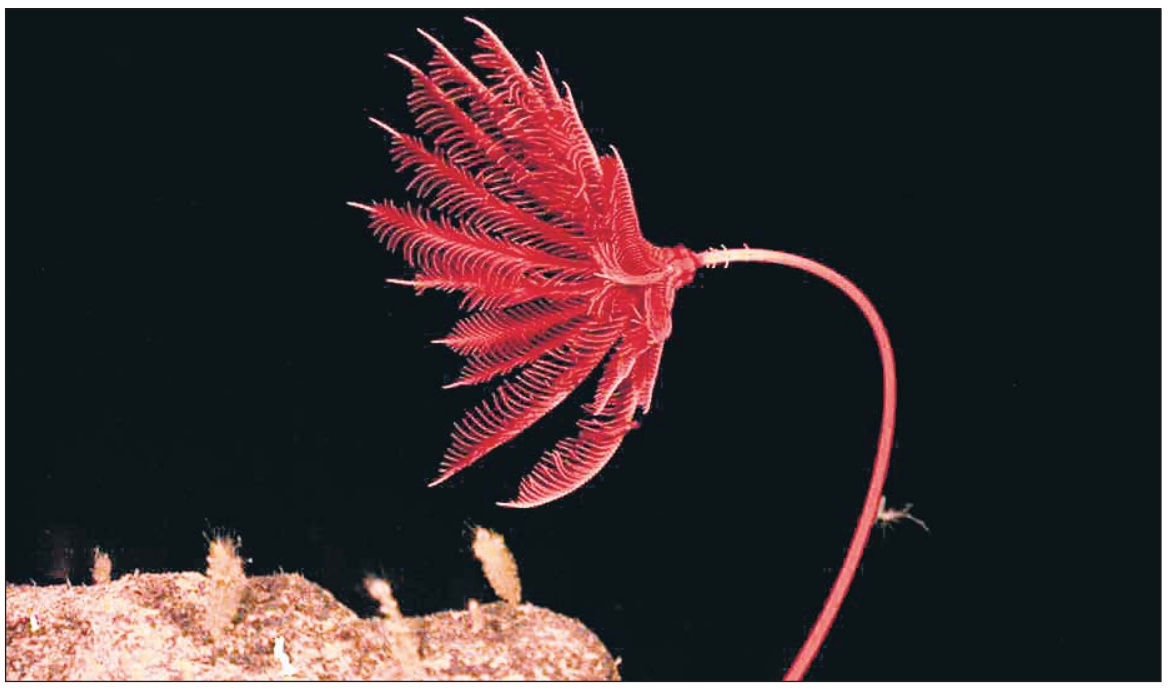

सी स्टार्स और सी अर्चिन के करीबी सम्बंधी, क्रॉइनॉइड्स, जिन्हें आम भाषा में ''सी लिली'' और ''फैदर स्टार'' कहते हैं, हालांकि बहुत प्रसिद्ध नहीं हैं, परंतु ये समुद्र के बहुत खूबसूरत जीवों में से एक हैं। समुद्र के अंदर एक विशाल दुनिया है, उसके रहस्य धीरे-धीरे खुल रहे हैं, और ये रहस्य हमारी कल्पना से भी परे हैं। एकाइनोडर्म (शूल चर्मी) परिवार के इन समुद्री इनवर्टिब्रेट्स (अकशेरुकी) की लगभग 600 जीवित प्रजातियाँ हैं। इन सभी में मूल रुप से पंच पक्षीय समानता (फाइव-साइडेड सिमिट्री) होती है। हालांकि, अक्सर इनकी अनेक भुजाएं भी होती हैं, जिसके कारण इनके मूल ''फाइव साइड्स'' की पहचान करना मुश्किल होता है। इन जीवों का अस्तित्व 485.4 और 443.8 लाख साल पुराना है। इनके जीवाश्म रिकॉर्ड से स्पष्ट है कि, किसी समय इनकी तादाद काफी ज्यादा थी। पेलिओज़ॉइक युग (जो 538.8 मिलियन वर्ष पूर्व शुरु हुआ) के मध्य से लेकर अंत तक के सभी प्रकार के क्राइनॉइड्स के जीवाश्म लाइमस्टोन बैड्स में पाए गए हैं। लेकिन जब तक जीवित ''सी लिलीज़'' और ''फैदर स्टार'' नहीं मिले थे तब तक यही माना जाता था कि, ये लुप्त हो गए हैं। इन जीवों को देखकर लगता है मानो समुद्र में फूल खिले हैं। हमारी लौकिक संवेदनशीलता तो इन जीवों के अद्भुत सौंदर्य की कल्पना भी नहीं कर सकती।

'मैं नारी शक्ति वंदन अधिनियम का समर्थन करती हूँ'

सोनिया गांधी ने संसद में यह भी कहा कि, बिल पारित होने से लोकसभा व विधानसभा में महिलाओं को एक तिहाई आरक्षण देने का उनके पति राजीव गांधी का सपना पूरा होगा

-डॉ. सतीश मिश्रा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 20 सितम्बर। आज महिला आरक्षण विधेयक के नए संसद भवन में दुर्लभ दृश्य प्रस्तुत किया जब कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी द्रमुक सांसद कनिमोई और एन.सी.पी. की सुप्रिया सुले ने महिलाओं का सम्मान न करने के लिए सरकार की खिंचाई की। केन्द्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने इसका जवाब देते हुए घोषणा की कि मोदी सरकार ने महिलाओं को महत्वपूर्ण बना दिया है।

संसद और विधानसभाओं में इस विधेयक के अनुसार 33 प्रतिशत आरक्षण का प्रवाधान है लेकिन यह 2029 के चुनाव के पहले नहीं हो सकेगा। सोनिया गांधी ने विधेयक को समर्थन देते हुए अन्य पिछड़ी जाति की महिलाओं के लिए आरक्षण के भीतर आरक्षण की मांग की।

सोनिया गांधी ने हिंदी में बोलते हुए कहा, ''मैं नारी शक्ति वंदन अधिनियम का समर्थन करती हूं। उन्होंने कहा कि

- **महिला आरक्षण विधेयक पर हुई चर्चा के दौरान सोनिया गांधी, द्रमुक की कनीमोई और एन.सी.पी. की सुप्रिया सुले ने महिलाओं का सम्मान नहीं करने के लिए भाजपा की कड़ी आलोचना की।**
- **इन आरोपों का जवाब देने के लिए सरकार ने केन्द्रीय मंत्री स्मृति इरानी को खड़ा किया, उन्होंने कहा कि, केन्द्र सरकार ने ''नारी शक्ति वंदन अधिनियम'' से महिलाओं की ताकत बढ़ा दी है।**
- **सोनिया गांधी ने बिल के क्रियान्वयन में परिसीमन व जनगणना की बाधाओं का मुद्दा उठाया और पूछा, आखिर महिलाओं को कब तक इंतज़ार करना पड़ेगा।**
- **तृणमूल सांसद महुआ मोइत्रा ने भी विधेयक के क्रियान्वयन का मुद्दा उठाया और कहा कि, यह 2029 से पहले क्रियान्वित नहीं हो सकता है।**

इस विधेयक के पारित होने से उनके पति स्वर्गीय राजीव गांधी का लोकसभा में महिलाओं के लिए एक तिहाई कोटा रखने का सपना पूरा होगा।

सरकार ने महिला राजनीति के विषय पर बोलने के लिए सबसे पहले अपने पुरुष सांसद निशिकांत दुबे को खड़ा किया जिससे लोगों की भौंहें तनीं। गृह मंत्री अमित शाह ने पलटवार करते हुए पूछा कि क्या पुरुष महिलाओं के मुद्दे पर नहीं बोल सकते।

सोनिया गांधी ने यह कहते हुए अपना भाषण आरंभ किया, ''मैं यहां नारी शक्ति वंदन अधिनियम का समर्थन करती हूं। धुएं से भरे रसोई घर से फ्लड लाइट्स से जगमगाते स्टेडियम तक भारतीय महिलाओं की यात्रा काफी लंबी रही है।

कांग्रेस एवं अन्य ने महिला विधेयक का श्रेय लेने के लिए भाजपा की खिंचाई की और आम चुनाव कुछ माह दूर होने के कारण यह ज्वलंत विषय है। विपक्ष ने कहा कि 2010 में कांग्रेसनीत यू.पी.ए. सरकार ने इस विधेयक का अपना संस्करण पेश किया था। यह विधेयक राज्यसभा से पारित हो गया था लेकिन समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल के विरोध के कारण लोकसभा में यह बिल पारित नहीं हो सका था।

सोनिया गांधी ने विधेयक के समर्थन पर जोर देते हुए सत्ता पक्ष की इस बात के लिए खिंचाई की कि इसके

(शेष पृष्ठ 5 पर)

सीएम गहलोत के खिलाफ दायर अवमानना याचिका खारिज

लेकिन याचिका कर्ता चाहे तो इसे ''रिवाईव'' कर सकता है

-यादवेंद्र शर्मा-

जयपुर, 20 सितंबर। राजस्थान हाईकोर्ट ने न्यायपालिका पर बयानबाजी को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ दायर आपराधिक अवमानना याचिका को निस्तारित कर दिया है। जस्टिस एम.एम. श्रीवास्तव और जस्टिस प्रवीर भटनागर की खंडपीठ ने यह आदेश मनु भार्गव की याचिका का निस्तारण करते हुए दिए।

- **अदालत ने कहा कि, न्यायपालिकाओं के खिलाफ गैर जिम्मेदाराना बयानबाजी करने का मामला पुनः जैसे ही सामने आयेगा तब याचिकाकर्ता आवेदन दायर कर पुनः मामले को उठा सकेंगे।**
- **अदालत ने कहा कि, इसी मामले पर दायर जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए मुख्यमंत्री से जवाब तलब कर चुके हैं, इसलिये वह इस तथ्य की पुष्टि करना चाहते हैं कि, उन्होंने न्यायापालिकाओं के संबंध में क्या बयान दिये और क्यों दिये।**

अदालत ने मामले का निस्तारण करते हुए कहा कि, उक्त मामले में जनहित याचिका पहले ही दायर की जा चुकी है और मुख्यमंत्री को नोटिस भी जारी किये जा चुके हैं। अदालत ने जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान मुख्यमंत्री से इस बात की पुष्टि करने के लिए जवाब तलब किया है कि, मुख्यमंत्री ने न्यायपालिकाओं के खिलाफ क्या टिप्पणी की थी, और क्यों की थी तो कि संबंध में की थी। उल्लेखनीय है कि अदालत ने याचिकाकर्ता मनु भार्गव की याचिका का निस्तारण करते हुए यह भी कहा कि याचिकाकर्ता भविष्य में जरूरत पड़ने पर पुनः आवेदन के जरिये ''रिवाइव'' कर सकता है।

गत सुनवाई के दौरान अदालत ने पहले तो नाराजगी जताई कि एक ही मुद्दे पर बार-बार याचिकाएं क्यों आ रही हैं, जिस पर प्रतिक्रिया करते हुए याचिकाकर्ता की ओर से पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता राजेन्द्र प्रसाद शर्मा ने कहा कि न्यायपालिका की आपराधिक अवमानना के लिये मामला अदालत में दायर करने से पूर्व महाधिवक्ता की सहमति लेनी होती है। उन्होंने आगे कहा कि मुख्यमंत्री के खिलाफ आपराधिक अवमानना के संबंध में याचिका दायर करने के लिये महाधिवक्ता ने पहले तो सहमति नहीं दी थी, लेकिन इस मामले में जब जनहित याचिका दायर की गई, तब महाधिवक्ता के दफ्तर से भी कहा गया था कि अब मुख्यमंत्री को नोटिस जारी किये जा चुके हैं इसलिये आपराधिक अवमानना याचिका दायर नहीं की जा सकती। राजेन्द्र प्रसाद ने अदालत को कहा कि महाधिवक्ता से सहमति नहीं मिलने के बावजूद अदालत आपराधिक अवमानना की याचिका सुन सकती है अगर निजी व्यक्ति मामले की महत्ता को देखते हुए अदालत की आपराधिक अवमानना के संदर्भ में याचिका दायर करे और अदालत को मामले पर स्वतः संज्ञान लेने के लिये संतुष्ट करे। उन्होंने अदालत को कहा कि उन्हें अवमानना याचिका दायर करने के

(शेष पृष्ठ 5 पर)

'केन्द्र में 90 सचिव, मात्र तीन ओ.बी.सी.' 'संजीवनी घोटाला केस की निचली अदालत पुनः सुनवाई करे'

हाई कोर्ट ने केस के आरोपी की याचिका पर आदेश दिए

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 20 सितम्बर। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी बुधवार को अन्य पिछड़ा वर्ग (अदर बैकवर्ड क्लासेज-ओ.बी.सी.) के आरक्षण के

- **राहुल गांधी ने यह कहते हुए जात आधारित जनगणना व ओ.बी.सी. को आबादी के अनुपात में आरक्षण देने की मांग की।**

मुद्दे की ओर सबका ध्यान खींचा। ज्ञातव्य है कि, ओ.बी.सी. आरक्षण आज न तो लोकसभा में है और न राज्य विधानसभाओं में।

लोकसभा में महिलाओं के 33 प्रतिशत आरक्षण पर चल रही बहस में भाग लेते हुये, उन्होंने जोर देते हुए कहा कि, इस मामले में सरकार को संविधान

(शेष पृष्ठ 5 पर)

जयपुर, 20 सितम्बर (का.सं.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने संजीवनी सोसायटी घोटाले से जुड़े मामले पर सुनवाई के बाद उक्त मामले को निचली अदालत को वापस भेजकर पुनः सुनवाई करने के लिए कहा। कोर्ट ने इस मामले के आरोपी याचिकाकर्ता केवलचंद दकालिया की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायाधीश बीरेन्द्र कुमार ने यह आदेश पारित किये।

- **याचिकाकर्ता केवल चंद डकालिया, जिसे निचली अदालत ने दोषी करार दिया था, ने हाई कोर्ट में कहा कि, उसने अन्य आरोपियों की जांच करने की गुहार की थी पर निचली अदालत ने उनकी अपील पर ध्यान नहीं दिया और सिर्फ उसे दोषी करार दिया।**

उक्त मामले में याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक राज सिंह बाजवा पैरवी के लिये पेश हुए। उन्होंने अदालत को बताया कि, संजीवनी घोटाले में लाखों लोग प्रभावित हुए थे, परंतु उक्त मामले में दो शिकायतकर्ताओं ने याचिकाकर्ता का नाम पुलिस की जांच एजेंसी ''स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप'' (एसओजी) को दिया था। उन्होंने अदालत को बताया कि, जांच के दौरान आरापियों ने निचली अदालत के समक्ष अन्य आरोपियों की भी जांच करने और उनको अपना पक्ष रखने का पूरा अवसर देने के लिये गुहार की थी, परंतु उन्हें बिना सुने ही अदालत ने दोषी करार दे दिया था। अधिवक्ता विवेक बाजवा ने कहा कि, निचली अदालत के इस आदेश के खिलाफ आरोपियों को हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा।

अदालत ने सुनवाई के बाद आदेश पारित किये कि, कोई भी अदालत आरोपियों को सुने बिना ही उन्हें मुजरिम घोषित नहीं कर सकती, इसलिये कोर्ट को इस मामले में पुनः सुनवाई करनी होगी।

आरक्षण विस्तार की समीक्षा करेगा सुप्रीम कोर्ट

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 20 सितम्बर। ऐसे समय में जब संसद में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने की बहस चल रही है, तब सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में

- **मुख्य न्यायाधीश डी.वाय. चन्द्रचूड़ की अध्यक्षता में 5 जजों की संविधान पीठ 104वें संविधान संशोधन की समीक्षा करेगी, जिसके तहत अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए लोकसभा व विधानसभा में आरक्षण कोटा की समय सीमा बढ़ा दी गई है।**

अनूसूचित जाति/जनजाति को मूल आरक्षण से परे आरक्षण बढ़ाने की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर गुरुवार को सुनवाई करने का निर्णय लिया। संविधान में मूल रुप से 10 वर्ष की अवधि आरक्षण के लिए अपेक्षित है। याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित हुए वरिष्ठ वकील

(शेष पृष्ठ 5 पर)

'कैनडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के आरोप बेहद गंभीर हैं और कई सवाल खड़े करते हैं'

शिरोमणि गुरूद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रमुख हरजिंदर सिंह धामी ने कहा कि, इससे दुनियाभर में सिख समुदाय प्रभावित होगा

-सुकुमार साह-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 20 सितम्बर। सिख धार्मिक और राजनीतिक संगठनों ने जून में हुई एक खलिस्तानी ''आतंकवादी'' की हत्या को लेकर भारत व कैनडा के बीच हुए विवाद को लेकर चिंता जताई है।

कैनडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो का यह ''विश्वसनीय आरोप'' कि, हरदीप सिंह निज्झर की हत्या के पीछे भारतीय एजेंट थे, बाद में भारत द्वारा इस दावे का खंडन और उसके बाद दोनों देशों के बीच शुरु हुए राजनयिक विवाद से सिख समुदाय सदमे में हैं तथा उन्होंने इस मुद्दे के सौहार्द्र पूर्ण समाधान की मांग की है।

सिखों की शीर्ष धार्मिक संस्था, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (एस.जी.पी.सी.) ने कहा कि, हालांकि, भारत सरकार ने कैनडा की सरकार के आरोपों को खारिज करते हुए कैनडा के एक राजनयिक को निष्कासित कर दिया, लेकिन, यह मामला बहुत गंभीर है और विश्वस्तर पर सिखों को प्रभावित करेगा।

एस.जी.पी.सी. प्रमुख हरजिंदर सिंह धामी ने केन्द्र से अपील की है कि, भारत में सिखों के मुद्दों को हल करे और विदेश में रहने वाले सिख समुदाय की समस्याओं और भावनाओं को समझकर सार्थक व उचित समाधान निकाले।

धामी ने कहा, कैनडा में हरदीप सिंह निज्झर की हत्या के मामले में, कैनडा सरकार द्वारा आरोप लगाने के बाद भारत के एक राजनयिक अधिकारी को निष्कासित करना कई सवाल खड़े करता है।''

उन्होंने आगे कहा, ''इसकी प्रतिक्रिया स्वरुप, हालांकि भारत ने आरोपों को खारिज करते हुए कैनडा के एक राजनयिक अधिकारी को निष्कासित कर दिया, लेकिन यह मामला बहुत गंभीर है और सीधे ही सिखों से संबंधित है, जिसका असर विश्व स्तर पर सिख समुदाय पर पड़ेगा।''

- **धामी ने केन्द्र सरकार से अपील की है कि, सिखों की भावनाओं को समझते हुए भारत में उनकी समस्याओं का समाधान किया जाए।**
- **धामी ने कहा कि, कैनडा में निज्झर की हत्या और फिर कैनडा सरकार द्वारा भारतीय राजनयिक पर आरोप लगाने व उसके निष्कासन से कई सवाल पैदा हो गए हैं।**
- **धामी ने कहा, आज भी विदेशों में रहने वाले कई सिखों को भारत आने और गुरूओं के पवित्र तीर्थों में मत्था टेकने से भी वंचित किया जा रहा है।**

उन्होंने कहा कि, दोनों देशों की सरकारों को एक दूसरे पर आरोप लगाने के बजाय इस मामले को गंभीरता से विचार के एजैण्डे पर लाना चाहिए।

धामी ने जोर देकर कहा कि, सिख समुदाय के लोग दुनिया भर में रह रहे हैं, जिनके मानव अधिकार और धार्मिक चिंताएं भी महत्वपूर्ण हैं। सन् 1984 के सिख विरोधी दंगों और अन्य घटनाओं का जिक्र करते हुए धामी ने कहा, ''सिख समुदाय ने बहुत बार दर्द भरा समय देखा है।''

धामी ने एक वक्तव्य में कहा, ''आज भी कई देशों में रहने वाले सिख अपनी मातृभूमि में आने और अपने धर्म गुरुओं के पवित्र स्थलों पर मत्था टेकने से वंचित हैं।''

उन्होंने कहा कि, सिखों ने हमेशा देश के साथ-साथ पूरी दुनिया में अपने मेहनती स्वभाव एवं और बौद्धिक शक्ति से अपनी उपस्थिति व अस्तित्व को ऊँचा रखा है, जिसके बावजूद समुदाय को हमेशा अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करना पड़ा है।

धामी ने कहा, ''देश की सरकार की यह जिम्मेदारी है कि, वह देश एवं विदेश के सिखों से जुड़े ऐसे मामलों को लेकर ईमानदार रुख अपनाए और समुदाय के सदस्यों के बीच अविश्वास का माहौल ना बनने दे।''

उन्होंने आगे कहा, ''आज पूरी दुनिया में सिखों के अस्तित्व को देखते हुए भारत और कैनडा दोनों को हाथ मिलाने की जरुरत है, ताकि आरोप लगने पर सच्चाई सामने आ सके और दोनों देशों के बीच रिश्ते भी अच्छे बने रहें।''

शिरोमणि अकाली दल (एस.ए.डी.) ने एस.जी.पी.सी. की भावनाओं को दोहराया और कैनडा के प्रधानमंत्री के बयान को ''गंभीर चिंता'' का विषय बताते हुए, भारत और कैनडा, दोनों सरकारों से, टकराव के बजाय, राजनेता जैसे दृष्टिकोण के साथ मामलों को सुलझाने का आग्रह किया।

''एक्स'' पर दिए एक बयान में शिरोमणि अकाली दल ने कहा, ''हम, सामान्य रुप से पंजाबियों और विशेष रुप से सिखों ने, देश की स्वतंत्रता, सुरक्षा और अखण्डता के लिए अद्वितीय बलिदान दिए हैं, और इस पर कभी कोई समझौता नहीं हो सकता।''

उन्होंने आगे कहा, ''भारत व कैनडा के बीच संबंधों को लेकर वर्तमान घटनाक्रम बेहद चिंताजनक हैं। क्योंकि इससे हमारे लोगों, विशेषकर कैनडा में पढ़ रहे हमारे युवा छात्रों के जीवन और आजीविका पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा।''

''एक्स'' पर दिए वक्तव्य में शिरोमणि अकाली दल ने आगे कहा, ''कैनडा के प्रधानमंत्री का हालिया बयान गंभीर चिंता का कारण है। शिरोमणि अकाली दल कैनडा और भारत, दोनों सरकारों से आग्रह करता है कि, मामले को टकरावादी रुख के साथ नहीं, बल्कि, राजनेता जैसे दृष्टिकोण से सुलझाया जाए।''

'संविधान की प्रति से सोशलिस्ट व सैक्युलर शब्द गायब'

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 20 सितम्बर। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने बुधवार को यह आरोप लगाकर सनसनी फैला दी कि, मंगलवार को नये संसद भवन के उद्घाटन के दिन कानून निर्माताओं को

- **नए संसद भवन में सांसदों को बांटी गई संविधान की प्रति में प्रस्तावना से ''सोशलिस्ट व सैक्युलर'' शब्द हटाने पर कांग्रेस ने गंभीर आपत्ति जताई।**

दी गई संविधान की प्रतियों में प्रस्तावना से ''धर्मनिरपेक्ष'' एवं ''समाजवादी'' शब्द हटा दिए गए हैं।

हालांकि, कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि, सांसदों को वितरित की गई प्रतियों में ''प्रस्तावना'' का मूल संस्करण है तथा उपरोक्त शब्द संविधान संशोधनों के बाद इसमें जोड़े गये थे। उन्होंने जोर देते हुये कहा, ''यह मूल प्रस्तावना के अनुसार है। संशोधन बाद में किये गये थे।'' इस मामले को गंभीर बताते हुये, चौधरी ने कहा कि, ये शब्द ''चतुराईपूर्वक हटाये

(शेष पृष्ठ 5 पर)